पटना में दिनांक–14 मार्च, 2014 शुक्रवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

पथ निर्माण विभाग

1.	ADB संपोषित BSHP-I (SHDP-II) के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76 एवं 77 (यथा संलग्न परिशिष्ट–1) के कुल 824.22 कि०मी० में पुल–पुलिया निर्माण, सुरक्षात्मक एवं नाला निर्माण कार्य सहित–2–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य हेतु कुल रू० 2629.86921 करोड़ की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

2.	राज्य उच्च पथ संख्या–78 (बिहटा–नौबतपुर–डुमरी–बेलदारीचक–कंसारी–दनियावाँ–चण्डी–रहुई–सरमेरा)पथ के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु कुल 1117.58 करोड़ रूपये के पुनरीक्षित लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

3.	श्री कामेश्वर नाथ सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, खुटौना प्रतिनियुक्त कुसहा तटबंध सम्प्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

विधि विभाग

4.	बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2014 की स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

5.	राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 1601 पुस्तकालयाध्यक्षों के चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में नियत वेतन एवं बकाया वेतन के भुगतान हेतु 4,14,61,000/– (चार करोड़ चौदह लाख एकसठ हजार) रूपये की सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

6. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजनान्तर्गत चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु रू० 6,00,00,000/– (छः करोड़ रूपये) मात्र एवं कॉरपस फण्ड निर्माण हेतु 2,50,00,000/– (दो करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल रूपये 8,50,00,000/– (आठ करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति। — 6. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8. डा० विजय कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदवंतनगर, भोजपुर को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 8. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9. डा० उचित लाल मंडल, तत्कालीन असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ) को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 9. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध करों के अन्तरण से प्राप्त होने वाली राशि ₹ 27263.00 लाख (दो अरब बहत्तर करोड़ तिरेसठ लाख रू० मात्र) तथा असंबद्ध अनुदान की कर्णांकित राशि ₹ 5330.00 लाख (तिरपन करोड़ तीस लाख रू० मात्र) अर्थात् कुल ₹ 32593.00 लाख (तीन अरब पच्चीस करोड़ तिरानवें लाख रू० मात्र) में से क्रमशः ₹ 27232.00528 लाख (दो अरब बहत्तर करोड़ बत्तीस लाख पाँच सौ अठाईस रू० मात्र) तथा ₹5300.00 लाख (तिरपन करोड़ रू० मात्र) अर्थात कुल ₹ 32532.00528 लाख (तीन अरब पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख पाँच सौ अठाईस रू० मात्र) सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान, पटना को वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजनान्तर्गत रू० 1,50,00,000/– (एक करोड़ पचास लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

12. वित्तीय वर्ष 2013–14 में ब्रेडा के प्रशासनिक व्यय हेतु गैर योजना मद में सहायक अनुदान के रूप में 368.30 लाख (तीन करोड़ अड़सठ लाख तीस हजार) रूपये की स्वीकृति के संबंध में।	12. स्वीकृत।